न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण स. 319/2016 (2016/00691)

उनवान

1. जमनी पत्नि गोकल ।
2. सूरजमल पुत्र भैरू(फौत)
   2/1 अमरी पत्नि सूरजमल
   2/2बाबूलाल पुत्र सूरजमल
   2/3नोरती पुत्री सूरजमल
3. छीतर पुत्र गोकल

तमाम जाति बैरवा (चमार)निवासी मोलकिया तहसील केकडी जिला अजमेर

––वादीगण

बनाम

1. भूला पत्नि हरनाथ
2. सत्यनारायण पुत्र हरनाथ
3. घीसी पुत्री हरनाथ

सभी जाति बैरवा निवासी मोलकिया तह.केकडी जिला अजमेर

4. बडोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कालेडा कृष्ण गोपाल तह. केकडी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

6. हेमराज पुत्र गोकल जाति बैरवा निवासीमोलकिया तह.केकडी जिला अजमेर
7. आशा पुत्री गोकल पत्नि श्री मुन्नालाल जाति बैरवा निवासी मोलकिया तह.केकडी हाल निवासी ग्राम कासीर तह.देवली जिला टोंक

——— प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राज.काश्तकारी अधि.एंव धारा 136 राज.भू.राज.अधि.

उपस्थितः–

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा – वादी अधिवक्ता
2. श्री केसरलाल चौधरी – वकील प्रफॉर्मा प्रतिवादी
3. प्रतिवादी स.1व 2के वकील –गैर हाजिर
4. तहसीलदार केकडी–पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 09.11.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोलकिया तहसील केकडी जिला अजमेर की आराजीयात जमाबन्दी स. 2016–2019 के खाता सं. नया–पुराना 26–64 के खसरा नम्बर 184 रकबा 4–16–00 बीघा किस्म बारानी 2 में खातेदार भुवाना पुत्र बरदा कौम चमार सा.देह खातेदार दर्ज है एंव जमाबन्दी स. 2069–2072 के खाता स. नया–पुराना 115–110 के खसरा नम्बर 316 रकबा 1.13 है. किस्म बारानी 2 दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण के पूर्वज श्री भुवाना पुत्र बरदा की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त आधिपत्य ,उपयोग,उपभोग में चली आ रही है। स्व. भुवाना पुत्र बरदा का पारिवारिक सजरा निम्नप्रकार है।

भुवाना पुत्र बरदा उर्फ बिरदा – फौत

- भैरू (पुत्र फौत)
  - लादी(पुत्री)
  - सूरजमल (पुत्र)
    - जमनी (पत्नि)
    - छीतर (पुत्र)
    - हेमराज (पुत्र)
    - आशा (पुत्री)
- रामा (अविवाहित पुत्र फौत)
- गोकल (पुत्र फौत)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

स्वर्गीय भुवाना के निधन के उपरान्त से उक्त आराजीयात बदस्तूर भुवाना की विरासत से वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के एक मात्र कब्जे काश्त आधिपत्य में चली आ रही है। स्व भुवाना की पुत्री लादी ने अपना हिस्सा अपने भाई वादी सूरजमल व छीतर के हक त्याग कर दिया है। वर्तमान में उक्त आराजीयात मे वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व मे चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादीगण या किसी अन्य दिगर व्यक्ति का किसी प्रकार का हक अधिकार नही है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 184 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 129 रकबा 6–19–00 वादीगण की अन्य आराजी खसरा नम्बर 179मि रकबा 2–3–00 को मिलाकर बनाये गये जो खसरा नम्बर 129 बने जिसके नये नम्बर 316 रकबा 1.13 है है। यह नम्बर भूमि एकीकरण के दौरान बनाये गये थे। जिसमे वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 3 के पूर्वज स्व श्री हरनाथ के नाम दर्ज कर दी गई जो कतई गलत है एंव अवैध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है प्रतिवादी स 1 लगायत 3 का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है स्व हरनाथ की मृत्यु हो चुकी है। राजस्व रिकॉर्ड मे आराजीयात व उनके वारिस प्रतिवादी स 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गई जो दुरूस्त होने योग्य है। उक्त अवैध अंकन का लाभ उठाने की बदनियति से दिनांक 15.7.2016 को प्रतिवादी स 1 लगायत 3 वादीगण /प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रविष्ठ होकर उसे आराजी मे ना आने की धमकी देते हुये ,आराजी पर अनाधिकृत कब्जा कर उसे विक्रय करने की धमकी देने लगे एंव कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने लगें। अतः वादीगण को वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुया । जिसे स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण में प्रतिवादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त वादपत्र में वकील प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एंव प्रतिवादी सं. 6 व 7 का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वाद पत्र में अंकित कथनों का खण्डन किया कि यह वादपत्र गलत कथनो पर आधारित होकर, मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण अस्वीकार है, वादीगण के पूर्वज भुवाना/प्रतिवादी उत्तरदाता के पति व पिता हरनाथ दोनो एक ही पिता की संतान है। भुवाना बडा भाई व हरनाथ छोटा भाई है। जिस कारण उक्त वाद वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 316 में भुवाना व हरनाथ का बराबर बराबर 1/2 हिस्सा है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात का आधा हिस्सा प्रतिवादीगण के वास्तविक ,भौतिक व प्रभावी कब्जेकाश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। वादी ने प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की गरज से झुठा व मनगढंत तथ्यों के आधार पर झुठा वादपत्र पेश किया जो खारिज योग्य हैं ।

प्रफॉर्मा प्रतिवादी स. 6 व 7 ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी सं. 2016–19 में प्रफॉर्मा प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पूर्वज श्री भुवाना का नाम दर्ज है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जावें। प्रतिवादी सं. 5 पेरोकार सरकार ने जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा एकीकरण के दौरान मौके की स्थिति अनुसार कार्यवाही की गई , यदि वादीगण को उक्त कार्यवाही से एतराज था तो तत्समय भी एतराज किया जा सकता था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मनगढंत व वेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। वादी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी भूमि में साविक ख.न .184 रकबा 4.16 के साथ –साथ चरागाह भूमि ख.न. 179 रकबा 2–3–00 है को सम्मिलित किया गया है। अतःवादी का वाद खारिज किया जावें। जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात निम्न प्रकार कायम की गई:–

तनकीयात:–

1. आया वादीगण वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजी घोषणा व स्थायी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।
   ———वादीगण

2. आया वादीगण का वाद पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिजी योग्य है।
   ———प्रतिवादीगण

वादीया जमनी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परिक्षित करवाया । वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज पेश किये। जमावन्दी सं. 2016–19 प्रदर्श 1 ,जमाबन्दी सं. 2021–24 प्रदर्श 2, जमाबन्दी सं. 2024–27 प्रदर्श 3 , जमावन्दी सं. 2069–72 प्रदर्श 4 , गिरदावरी सं. 2069–72 प्रदर्श 5 मिलान क्षेत्रफल भू.प्रवन्ध विभाग प्रदर्श 6, मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श 7 , समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा डिकी करने की प्रार्थना की। पी.डब्ल्यू. 2 [illegible] घीसालाल बैरवा ,पी.डब्ल्यु 3 प्रहलाद पुत्र खाकीराम बैरवा , ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर [illegible] को परिक्षित करवाया गया एवं वादीया का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीगण के वकील ने वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराया व दावा डिकी करने की प्रार्थना की। प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया । प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वकील हाजिर नहीं हुये। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी द्वारा वादपत्र को खारिज करने की प्रार्थना की कि स्वयं की खातेदारी भूमि में साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 4–16 के साथ –साथ चरागाह भूमि ख.न. 179 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा को भी सम्मिलित किया गया है अतः वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

पत्रावली किया अवलोकन किया । वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी न. 1

वादीगण वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 1.13 है. भूमि की खातेदार घोषित होने की घोषणा करवाने हेतु दावा पेश किया है। आराजी खसरा नम्बर 316 के पुराने नम्बर 184 खातेदारी में दर्ज थी जो EX1 है। जिसके नये नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 129 गत नम्बर 184, 179 मि. से बने है। साबिक ख.न. 129 के हाल ख.न .316 बने है। पुराने खसरा नम्बर 184 रकबा 4–16–00 बीघा आराजीयात पर ववादीगण के पूर्वज की खातेदारी में होने से वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होने का हक रखते है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 2 :–

वादीगण का वाद खारिज करवाने हेतु कोई ठोस दस्तावेज विलेख प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं कर पाये है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी न. 1 वादीगण के पक्ष में , तनकी न. 2 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाने से वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी ग्राम मोलकिया की जमाबन्दी सं. 2069–72 के खाता स .नया पुराना 115–110 में दर्ज ख.न .316 रकबा 1.13 है. बारानी 3 में से साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 4–16–00 बीघा आराजी का वादीगण एंव प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस हद तक प्रतिवादी स. 1 लगायत 2 का नाम विलोपित किया जाता है। प्रतिवादीगण स. 1 से 3 को जरिये न्यायालय की स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा नम्बर 316 जिसके साबिक खसरा नम्बर 184 रकबा 4–16–00 बीघा भूमि में वादीगण व प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। ताकि वादीगण बेदखल हों। प्रतिवादी स. 1 व 2 अवैध इन्द्राज के आधार पर आराजी का विक्रय नही करें। प्रतिवादी स. 5 राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हों। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी,
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner